छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 57 | प्रकरण क्रमांक– **M-COM-2025-02687**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध ''सुकून'' प्रमोटर–श्री इन्द्रजीत सिंह सलूजा, पता–मेन रोड, टिकरापारा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''सुकून'' पता–लिंग्याडीह, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/08/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''सुकून'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA 131118000839** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 13.11.2018 पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11(1)(ई) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति व वार्षिक लेखा रिपोर्ट रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों एवं प्राधिकरण के निर्देशों का अवहेलना करते हुये ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक अद्यतन प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 15.01.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर De-registered Project की श्रेणी में है। अतः प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	